

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2025/171394/AMR/AMROHA/1433/CFO

दिनांक : 09-09-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **ST. PIUS SCHOOL** पता **KHASRA NO-2062, VILLAGE KUMHARPURA, BACHHRAON, BACHHRAON** तहसील - **DHANAURA** प्लाट एरिया **4572.95 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **2111.39** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
ST PIUS SCHOOL	3	0	10.75 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **ST. PIUS SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण **अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **10-09-2025** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **JOJOMON JOSEPH** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **10-09-2025** से **09-09-2028** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **ST. PIUS SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **ST. PIUS SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : अग्निशमन अधिकारी की संस्तुति सहित आख्या के क्रम में एन बी सी 2016 एवं उ0प्र0अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली-2024 के उपबन्धों के आधार पर निर्गत।

- भवन स्वामी द्वारा प्रत्येक 06 माह में फायर इवेकेशन / माकड्रिल व अग्निशमन प्रशिक्षण स्थानीय फायर स्टेशन प्रभारी के पर्यवेक्षण में कराकर रिकार्ड रखें जायेंगे
- फायर उपकरणों का वार्षिक ए0एम0सी0 / मरम्मत अर्ह एजेंसी से कराया जाये।
- विद्युत सुरक्षा निदेशालय का विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधक की होगी।

यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होता है, तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

Anil Kumar Singh

E9965325E2ECAF84994E89A25287097E46C70623

10-09-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : **10-09-2025**
स्थान : **AMROHA**

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.